लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—एफ.1(5)लोआस / 1987 / 10507 जयपुर, दिनांकः— 28/8/2023

—::परिपत्र::—

विषयः—लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान जयपुर में शिकायत/परिवाद प्रेषित किये जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

:————:

प्रायः यह देखने में आया है कि शिकायतकर्ता/परिवादीगण द्वारा सीधे माननीय लोकायुक्त महोदय व अन्य अधिकारियों के सेल फोन पर शिकायत/परिवाद प्रेषित किये जा रहे हैं। यह प्रक्रिया राजस्थान लोकायुक्त तथा उप—लोकायुक्त अधिनियम,ख 1973 की धारा 9 (1से3) में विहित प्रावधानो के अनुसार नहीं है।

इस सचिवालय में लोकसेवकों के विरूद्ध शिकायत/परिवाद प्रेषित किये जाने के लिए **राजस्थान लोकायुक्त तथा उप—लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 9 (1 से 3) में वर्णित प्रावधान निम्नानुसार हैं :—**

1 इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, किसी अभिकथन के संबंध में लोकायुक्त या उप—लोकायुक्त को इसअधिनियम के अधीन शिकायत प्रस्तुत की जा सकेगी।

परन्तु जहां व्यथित व्यक्ति मर गया हो या किसी कारण से स्वयं के लिये कार्यवाही करने में असमर्थ है, तो शिकायत किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जो विधि की दृष्टि में उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जो इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाये, जैसी भी स्थिति हो

2 प्रत्येक शिकायत ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे शपथ पत्रों सहित प्रस्तुति की जायेगी जो विहित किये जायें।

3 किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, पुलिस अभिरक्षा में, या किसी जेल में या विक्षिप्त व्यक्तियों के किसी आश्रय स्थान या अन्य स्थान में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा लोकायुक्त या उप—लोकायुक्त को लिखे गये पत्रों को, पुलिस अधिकारी या ऐसी जेल, आश्रय स्थान या अन्य स्थान के प्रभारी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना खोले और बिना देरी किये प्रेषिति को भेज दिया जायेगा और लोकायुक्त या उप—लोकायुक्त, यथास्थिति, उसका इस बात से समाधान हो जाने पर कि ऐसा

करना आवश्यक है, ऐसे पत्र को, उप–धारा(2) के उपबन्धों के अनुसार की गई शिकायत मान सकेगा।

अतः समस्त शिकायतकर्ता/परिवादीगण को सूचित किया जाता है कि लोकायुक्त सचिवालय में शिकायत/परिवाद **राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 9(1 से 3) में विहित प्रावाधानों के तहत ही प्रेषित की जा सकती है सेल फोन इत्यादी पर नहीं इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता/परिवादी लोकायुक्त सचिवालय के स्वागत कक्ष में राजकीय अवकाशों के अतिरिक्त दूरभाष या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्यालय समय पर शिकायत या शिकायत से सम्बन्धित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।**

28/08/2023

(गौरी शंकर शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, माननीय लोकायुक्त महोदय।
2. निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सचिव,श्रीमान सचिव महोदय।
3. श्री रोहित कुमार शर्मा,सहायक प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वेबसाईट पर अपलोड करें।

28/08/2023
उप सचिव